No. 4/1/2026-IR II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

Kartavya Bhavan-3
New Delhi - 110001
Dated: 22nd October, 2026

Subject: Appointment of Information Commissioners in the Central Information Commission.

Under the Right to Information Act 2005, the Government of India has constituted the Central Information Commission which is located in New Delhi. The powers and functions of the Information Commissioners in the Central Information Commission are as per the RTI Act, 2005.

2. It is proposed to appoint Information Commissioners, not exceeding two, as may be deemed necessary in the Central Information Commission.

3. The Act provides that the Information Commissioner: -

(i) shall be a person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass-media or administration and governance.
(ii) shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. It is clarified that cessation/termination of holding of office of profit, pursuing any profession or carrying any business is a condition precedent to the appointment of a person as Information Commissioner.

4. Persons who have attained the age of 65 years shall not be eligible for appointment.

5. The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Information Commissioner shall be as per Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

6. Persons fulfilling the criteria and interested for appointment to the post of Information Commissioner may send their particulars in the **enclosed proforma only**, by post, to **Under Secretary (IR II), Hall No. 31049, Department of Personnel and Training, Kartavya Bhavan-3, New Delhi-110001** or through e-mail to **usrti-dopt@nic.in** so as to reach **latest upto 5:00 PM, 20th November, 2026**. Persons, who are serving under the State/Central Government or any other Organization, should send their particulars through proper channel (Administrative Ministry/Department/State/UTs) **only before the due date.**

M Sharma
22/10/2026

(Hemant Sharma)
Under Secretary (IR II)
Tel.: 011-24010407

Note: RTI Act, 2005 and Rules thereunder may be referred to by intending applicants for general familiarization, as could be appropriate.

Proforma for sending particulars for consideration for the post of Information Commissioner in the Central Information Commission

Please affix the latest passport size photograph

1. Name :

2. Date of Birth :

3. Present Address :

4. Contact No.

   a) Telephone (along with STD code) :

   b) Mobile :

   c) Fax :

5. E-mail Address :

6. Educational Qualification :

7. Area of Eminence {as per 3 (i) mentioned in the Advertisement} :

Area of Eminence	
Law	
Science and Technology	
Social Service	
Management	
Journalism	
Mass-Media	
Administration and Governance	

8. Present Occupation :

9. Whether retired, please mention service, if any :

10. Achievements/Work Experience (As per Annexure) :

Date:
Place:

Signature:
Name:

Annexure

Details of Achievements/Work Experience in respect of candidates applying for the post of Information Commissioner

Sr. No.	Post	Organisation	Period		Details of achievements/experience (in brief)
			From	To	
1					
2					
3					
4					
5					

सं.4/1/2026–आईआर II
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

कर्तव्य भवन - 3, नई दिल्ली
दिनांकः 22 अक्टूबर, 2026

विषयः <u>केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति।</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भारत सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया है, जो नई दिल्ली में स्थित है। केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की शक्तियां और कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार है।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग में अधिकतम दो सूचना आयुक्तों, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

3. अधिनियम यह प्रावधान करता है कि सूचना आयुक्त :-

(i) विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यमों अथवा प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा।

(ii) कोई संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, का सदस्य नहीं होगा अथवा कोई अन्य लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होगा अथवा किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा अथवा कोई व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाला नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाभ के पद के धारण, किसी वृति अथवा किसी व्यापार की समाप्ति सूचना आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु एक पूर्व शर्त है।

4. 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

5. सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों तथा राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2019 के अनुसार होंगी।

6. सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले और इच्छुक व्यक्ति **संलग्न प्रपत्र** में अपना विवरण **अवर सचिव (आईआर-II), हॉल सं. 31049, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली** को डाक द्वारा अथवा **<u>usrti-dopt@nic.in</u>** पर ई-मेल के माध्यम से भेजें जो **<u>20 नवम्बर, 2026, को अपराह्न 5:00 बजे से पहले</u>** पहुंच जाएं। राज्य/केन्द्र सरकार अथवा किसी संगठन के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों को अपना विवरण उचित माध्यम (प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) द्वारा **निर्धारित तारीख से पहले ही** भेजना चाहिए।

हेमन्त शर्मा
22/10/2026

(हेमन्त शर्मा)
अवर सचिव (आईआर-II)
दूरभाषः 011-24010407

टिप्पणीः इच्छुक आवेदकों द्वारा सामान्य जानकारी हेतु, जैसा उचित हो, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद हेतु विचार करने के लिए विवरण भेजने हेतु प्रपत्र

कृपया पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क सूत्र :
   क). टेलीफोन (एसटीडी कोड सहित) :
   ख). मोबाइल :
   ग). फैक्स :
5. ई-मेल का पता :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. ख्याति का क्षेत्र {विज्ञापन में 3(i) में दिए गए विवरण अनुसार} :

ख्याति का क्षेत्र	
विधि	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
सामाजिक सेवा	
प्रबंधन	
पत्रकारिता	
जनसंचार के माध्यम	
प्रशासन और शासन	

8. वर्तमान व्यवसाय :
9. यदि सेवानिवृत्त हैं, तो कृपया सेवा, यदि कोई हो, का उल्लेख करें :
10. उपलब्धियां/कार्यानुभव (संलग्नक के अनुसार) :

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम :

संलग्नक

केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में उपलब्धियों/कार्य अनुभव का विवरण

क्र. सं.	पद	संगठन	अवधि		उपलब्धियों/कार्य अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
			से	तक	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					